दां.प्र.क्र.–774/22 शासन वि. अमृत पटेल वगैरह

Witness No.....02.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....11–10–2023.....day of.....Witness's apparentage.....27.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....देवीकुमार बरेठ.....

Son of.....हेमप्रसाद बरेठ.....occupation.....मजदूरी.....

address.....साकिन चोरिया, थाना सारागांव, जिला सक्ती (छ.ग.)

प्रारंभ समय 01:20 बजे।

1– मै आरोपीगण को जानता हूॅ । मै आरोपीगण को पूर्व मे थाना सारागांव मे देखा था ।

2– पुलिस वाले मेरे सामने किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ नही किये थे । पुलिस वाले मेरे सामने किसी व्यक्ति से कोई सामान जप्त नही किये थे, परन्तु थाना के टेबल मे चांदी सोना के जेवर तथा मोबाईल रखा हुआ था । पुलिस वाले मेरे सामने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नही किये थे ।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्व में दिनांक 24–08–2023 को आवेदन पत्र के माध्यम से प्रकरण में संलग्न थाना सारागांव के इस्तगासा क्र. 3/22 एवं अपराध क्र. 32/22 की मूल डायरी आहुत करने के संबंध में निवेदन किया गया था । उक्त् दस्तावेज मे उपस्थित साक्षी का हस्ताक्षर अंकित है, जिसको प्रदर्श के रूप में अंकित कराया जाना है । बचाव पक्ष द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त की गयी ।

निष्कर्षः– थाना जैजैपुर के द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा जिला जांजगीर चांपा के आदेश पर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज को थाना सारागांव से सत्यापित प्रति प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया है । आरोपीगण अभिरक्षा मे है । अतः न्याहित में अभियोजन को सत्यापित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श अंकित कराने की अनुमति दी जाती है ।

3– साक्षी को मेमोरेण्डम कथन प्र०पी० 5 से 7, जप्ती पत्रक प्र०पी० 8 से 10 तक, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 11 से 13 दिखाये जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । मै उक्त हस्ताक्षर थाना सारागांव मे किया था । पुलिस वाले मुझे हस्ताक्षर लेने का कारण नही बताये थे ।

टीपः– अभियोजन द्वारा उपस्थित साक्षी को धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, अभिलेख अवलोकन बाद अनुमति दी गई।

4– यह कहना गलत है कि आरोपी अमृत पटेल, नागेन्द्र कुमार पटेल, उत्तम कुमार शर्मा से पुलिस वाले मेरे समक्ष दिनांक 01–08–2022 को पूछताछ किये थे, जिसमे आरोपीगण ने स्वीकार किया था, कि उनके द्वारा मिलकर जुलाई 2022 में ग्राम दतौद थाना जैजैपुर के घर मे दरवाजा लुढका था जिस पर तीनो आरोपीगण घर अंदर घुसकर 3 पेटी के अंदर से सोने की फदक, फुल्ली, चांदी का पायल, बिछिया अंगूठी, चांबी छल्ला तथा एक सैमसंग कंपनी का कीपेड मोबाइल तथा 55 हजार रूपये नगद चोरी किये थे । जिसमे से भागते समय मोबाइल कही गिर गया था तथा चोरी मे प्राप्त रकम मे से 15000/–रू० एवं सोने की फदक को अमृत पटेल रखा था, 20000/–रू० एवं सोने की फुल्ली को नागेन्द्र कुमार पटेल रखा था तथा 20000/–रू० एवं चांदी के पायल, बिछिया, अंगूठी, चाबी छल्ला को आरोपी उत्तम कुमार शर्मा रखा हुआ था ।

5– यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को ग्राम सरवानी में आरोपी अमृत पटेल के निशानदेही पर पुलिस वाले मेरे समक्ष एक एमआई कंपनी का मोबाइल, सोने का माला (लाकेट 5 नग वजन लगभग 2 ग्राम), सोने का फदक 9 नग वजन लगभग 9 ग्राम जप्त किये थे । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष उसी दिनांक को आरोपी नागेन्द्र कुमार पटेल के निशानदेही पर मेरे समक्ष सक्ती वार्ड क्र.4 स्थित आरोपी के घर से एक जोडी चांदी का पायल वजन लगभग 67 ग्राम तथा एक नग सोने की फुल्ली वजन लगभग 1 ग्राम जप्त किये

थे । यह कहना गलत है कि उसी दिनांक को पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी उत्तम कुमार शर्मा के निशानदेही पर सक्ती स्थित उसके घर से एक जोडी सोने का झाला वजन लगभग 7 ग्राम, एक जोडी सोने का टाप वजन लगभग 2 ग्राम, चांदी का 2 जोडी पायल वजन लगभग 69 ग्राम, चांदी का बिछिया 10 नग वजन लगभग 47 ग्राम, चांदी का अंगूठी 3 नग वजन लगभग 9 ग्राम, एक नग चांदी का चाबी का छल्ला वजन लगभग 27 ग्राम जप्त कर कब्जा पुलिस लिये थे ।

5– यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार किये थे । यह कहना गलत है कि मै आरोपीगण को जानता हूॅ और उसके दबाव मे आकर आज न्यायालय में सही बात को नही बता रहा हूॅ । यह कहना सही है कि मै जब दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता हूॅ, तब उक्त दस्तावेज को पढ लेता हूॅ । यह कहना सही है कि दस्तावेज में लिखे हुये तथ्यो के सही होना पाये जाने पर ही मै हस्ताक्षर करता हूॅ ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त नागेन्द्र सहित जी पी साहू अधिवक्ता//

6– यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वाले किसी प्रकार का बयान नही लिये थे । यह कहना सही है कि मै घटना का दिन व दिनांक नही बता सकता । यह कहना सही है कि मै पुलिस वाले के साथ किसी जगह पर नही गया हूॅ और न ही मेरे सामने किसी गांव मे पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया है । यह कहना सही है कि मेरे सामने किसी भी आरोपी से कोई भी सामन की जप्ती नही हुयी है । यह कहना सही है कि जिस समय मै हस्ताक्षर किया हूॅ, उस समय मैने दस्तावेज को नही पढा था, और पुलिस वाले के कहने पर उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त अमृत सहित के आर घृतलहरे अधिवक्ता//

6– कुछ नही ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 01:50 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–

श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)